न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू-अर्जन प्र.क्र. 44 /अ–82/2014–15
ग्राम विश्वनाथपाली प.ह.नं. 40
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदक.

विरूद्ध

1. खीरसागर पिता तेजराम जाति कोलता सा जुर्डा भूमि स्वामी
2. केशवप्रसाद पिता राधेश्याम जाति तेली रेल्वे बंगलापारा विवेकानंद स्कूल के पास रायगढ़ भूमि स्वामी
3. गेतु पि मुल्हू जाति खडिया सा देह भूमि स्वामी (शासकीय पट्टेदार की भूमि)
4. निराकार,पिता अंगद सुमित्रा पिता परमेश्वर, सीमा बेवा परमेश्वर लक्ष्मी बेवा अंगद जाति गाड़ा सा देह स्वामी (शासकीय पट्टे की भूमि)
5. नेतराम पिता लोधू जाति भुईहर सा देह भूमि स्वामी (शा.पट्टेदार की भूमि)
6. प्रभासिनी बे अभीराम फुलो फुलमती लालमती कमला पिता उद्वव, सानो बेवा नन्दलाल, सनतराम, विनोद पि नन्दलाल, चिनोद पि माधव, पानो पि तिउर पदमन, सुदर्शन पिता हीलो, रूपाबाई बेवा हीलो श्रीवच्छ पिता रेजा, कलावती बोलो, लुचना, सरोजनी पिता रेंजा, संकरावती बेवा बिठल जाति खड़िया सा देह भूमि स्वामी
7. भरत पिता वासुदेव जाति तेली सा देह भूमि स्वामी
8. मनीष कुमार पिता रामअवतार जाति अग्रवाल नि. मौहापाली भूमिस्वामी
9. रथीलाल पिता आशाराम जाति खड़िया सा देह भूमि स्वामी (शासकीय पट्टेदार की भूमि)
10. शत्रुघन पि वासुदेव जाति तेली सा देह भूमि स्वामीरथीलाल पिता आशाराम जाति खड़िया सा देह भूमि स्वामी (शा.पट्टेदार की भूमि)
11. सालिकराम पिता गोदरो, गंगाराम, रघुवर, पिता लोदरो पिता परसराम जाति खडिया सा देह भूमि स्वामी (शासकीय पट्टेदार की भूमि)
12. दशरथ, सामवती पि पुनाउ, सुकवारी बे पुनाउ, सुक्रू, दिर्जो पिता भोकलो जाति खड़िया सा देह भूमि स्वामी

— अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश

(दिनांक 13 –02–2017)

यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/11/08/15 विश्वनाथपाली दिनांक 06.08.2015 के अनुसार ग्राम– विश्वनाथपाली प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. व तह.–रायगढ़ जिला रायगढ़ के निजी भूमि कुल ख.नं. 14 कुल रकबा 2.366 हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

भू-अर्जन अधिकारी (रा) अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3062/राजस्व/भू-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :-

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईस ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड मे प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3)के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम विश्वनाथपाली के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :-

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में	खसरा नं.	रकबा (हे0) में
123/2	0.202	1/3	0.089	265/1	0.462	121/5	0.012
122/1	0.162	121/6	0.061	265/1	0.024	265/2	0.506
250/9	0.121	253	0.162	261	0.101	250/5	0.242
254	0.202	252	0.020	योग – कुल ख.नं. 14 कुल रकबा 2.366 हे.			

अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 02.10.15 भाग-एक पृ.क्र. 1523
2. स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 17.10.2015
3. क्षेत्रिय समाचार पत्र कुशाग्रता दिनांक 20.10.2015
4. ग्राम विश्वनाथपाली में मुनादी के माध्यम से दिनांक 07/11/2015

(3) प्रकरण में अधिनियम की धारा-11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् ना0बा0 सिमर गांधी पिता दयालचंद निवासी बिलासपुर, नाबा. यशवी छाबडा पिता आशीष छाबडा पा.मामा सतनाम सिंह छाबडा नि. हण्डी चौक रायगढ़, श्रीमती गीता देवी पति गोपाल प्रसाद अग्रवाल नि. चक्रधर नगर रायगढ़, कु.सूरभि अग्रवाल पिता गोपालप्रसाद अग्रवाल नि. चक्रधर नगर रायगढ़, श्रीमती कुलवंत कौर छाबडा पति दिलीपसिंह छाबडा नि. महामाया चौक अंबिकापुर, नाबा. गुणवत छाबडा पिता आशीष छाबडा पा. मामा सतनाम सिह चावला नि. हण्डी चौक रायगढ़, नाबा. भानवी छाबडा माता श्रीमती आरती छाबडा नि. बेमेतरा, पा.मामी श्रीमती रविन्द्र चावला पति सतनाम सिंह चावला, हण्डी चौक रायगढ़, नाबा. रसलीन सलूजा पिता रणजीत सिह सलूजा नि. संबलपुर के तरफ से पा. मौसी श्रीमती गुरमीत कौर पति गुरमीत कौर निवासी बीडपारा रायगढ, श्रीमती गुरमीत कौर पति गुरमीत सिंह नि. बीडपारा रायगढ, जसप्रीत सिंह चावला पिता गुरदीप सिंह अवति सिदार रायपुर, दिलीपसिंह छावडा व. स्व. मोहरसिंह छावडा नि. महामाया चौक अंबिकापुर ,नाबा.हर्शीन कौर टूटेजा माता सचप्रीत कौर टूटेजा नि. दयालबंद बिलासपुर, पा. नानीग गुरमीत कौर पति गुरमीत सिह नि. बीडपारा रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का बिन्दुवार आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से प्राप्त कर निम्नानुसार निराकरण किया गया :-

आपत्तिकर्ताओं के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :-

महाप्रबंधक,एनटीपीसी लि. तिलाईपाली से जवाब प्राप्त। तहसीलदार, पुसौर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार महाप्रबंधक, एनटीपीसी लि. तिलाईपाली एवं तहसीलदार पुसौर से संयुक्त पुनर्वास प्रतिवेदन अप्राप्त है। दावा/आपत्ति के संबध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आपत्तिवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. नाबा. यशवी छाबडा पिता आशीष छाबडा पा.मामा सतनाम सिंह छाबडा नि. हण्डी चौक रायगढ़
2. श्रीमती गीता देवी पति गोपाल प्रसाद अग्रवाल नि. चक्रधर नगर रायगढ़
3. कु.सूरभि अग्रवाल पित्ता गोपालप्रसाद अग्रवाल नि. चक्रधर नगर रायगढ़
4. श्रीमती कुलवंत कौर छाबडा पति दिलीपसिंह छाबडा नि. महामाया चौक अंबिकापुर
5. नाबा. गुणंत छाबडा पिता आशीष छाबडा पा. मामा सतनाम सिह चावला नि. हण्डी चौक रायगढ़
6 नाबा. शानवी छाबडा माता श्रीमती आरती छाबडा नि. बेमेतरा, पा.मामी श्रीमती रविन्द्र चावला पति सतनाम सिंह चावला, हण्डी चौक रायगढ़
7. नाबा. रसलीन सलूजा पिता रणजीत सिह सलूजा नि. संबलपुर के तरफ से पा. मौसी श्रीमती गुरमीत कौर पति गुरमीत कौर निवासी बीडपारा रायगढ
8. श्रीमती गुरमीत कौर पति गुरमीत सिंह नि. बीडपारा रायगढ
9. जसप्रीत सिंह चावला पिता गुरदीप सिंह अवति सिदार रायपुर
10 दिलीपसिंह छावडा व. स्व. मोहरसिंह छावडा नि. महामाया चौक अंबिकापुर
11. नाबा.हर्शीन कौर टूटेजा माता सचप्रीत कौर टूटेजा नि. दयालबंद बिलासपुर, पा. नानीग गुरमीत कौर पति गुरमीत सिंह नि. बीडपारा रायगढ द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :-

1. भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाशित कराई गई है ।
2. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।
3. (अ) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासिन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जोकि त्रूटीपूर्ण है!

(ब) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासिन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले मे सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्यन की अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा ।

4. खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना नही आता है।

5. आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रांरभिक अधिसूचना के प्रका''ान के पूर्व किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं जवाब के अनुसार उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया है –
(क) छ.ग.राजपत्र दिनांक 2. अक्टूबर 2015, भाग-एक पृ.क्र.1523
(ख) स्थानीय समाचार पत्र -दैनिक कुशाग्रता दिनांक 20.10.2015
(ग)दैनिक भास्कर दिनांक 17.10.2015
(घ) ग्राम प्रकाशन दिनांक 07/11/2015 को कराया गया ।

2. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग.शासन द्वारा विहित प्रपत्र कराई गई है।
वर्तमान में टारपाली ग्राम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वारा किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।

3. (अ) छ.ग.शासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.03.2015 के क्रमांक एफ. 4-28/सात-1/2014 के अनुसार ओद्योगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।
(ब) छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की प्रकाशन तिथी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज की गणना किया जावेगा।

4. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना का प्रकाशन वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन प्रस्ताव अनुसार किया गया है।

5. वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू-अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज नामों के अनुसार प्रभावितों को मुआवजा एवं अन्य पुनर्वास लाभ दिया जायेगा ।
जे.पी नामदेव आत्मज स्व. साधराम, देवानंद नामदेव आ. स्व. प्रेमानंद नामदेव ना.बा. भव्यता नामदेव आ. देवानंद नामदेव रायगढ़ का दावा/आपत्ति दिनांक 23.2.2016 अवधि वाह्य होने के कारण अग्राह्य किया गया।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(4) प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार अधिग्रहण की जा रही भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा-19 की घोशणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग-1 पृ.क्र. 1006,1007,

2. स्थानीय समाचार पत्र 1. कुशग्रता में दिनाक. 17.5.2016

2. दैनिक भास्कर में दिनाक. 17.05.2016

3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 21.5.2016

प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 की घोशणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू-स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7. 2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :-

आपत्तिकर्ता (1) कु.सूरभि अग्रवाल पिता गोपालप्रसाद अग्रवाल नि. चक्रधर नगर रायगढ़, नाबा. रसलीन सलूजा पिता रणजीत सिह सलूजा नि. संबलपुर के तरफ से पा. मौसी श्रीमती गुरमीत कौर पति गुरमीत कौर निवासी बीडपारा रायगढ, ना0बा0 सिमर गांधी पिता दयालचंद निवासी बिलासपुर, श्रीमती गीता देवी पति गोपाल प्रसाद अग्रवाल नि. चक्रधर नगर रायगढ़, नाबा.दर्शीन टूटेजा माता सचप्रीत कौर टूटेजा नि. दयालबंद बिलासपुर, पा. नानी गुरमीत कौर पति गुरमीत सिह नि. बीडपारा रायगढ़ द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :-

1. भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03. 2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

2. यह कि रिट पिटिशन क्रमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू-अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये

जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अवहेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क्र. 1507/2016,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग.शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

3. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

4. धारा 19 के पुनर्वासिन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासिन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनिय्रम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, जब तक पुनर्वासिन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता। एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

5. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03.6.2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

6. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यवहारों जैसे- बिक्री,दान,

विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचनां में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू-अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त आपत्ति का बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण किया गया :-

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग.भासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू-अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

2. रैंगालपाली एवं टारपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित रिट पिटिशन क्रमांक WPC1507/2016 एवं 1508/2016 कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रक्रियाधिन है एवं छ.ग.शासन वगैरह द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा। संदर्भित रिट पिटिशन क्रमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में प्रक्रियाधिन है।

3. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :-

छ.ग. राजपत्र में दिनांक 02.10.15 भाग-एक पृ.क्र. 1523

स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 17.10.2015

क्षेत्रिय समाचार पत्र कुशाग्रता दिनांक 20.10.2015

ग्राम विश्वनाथपाली में मुनादी के माध्यम से दिनांक 07/11/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. कमिशनर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है एवं अनुमोदित पुर्नवासन योजना का अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है, इसका धारा 19 की घोशणा के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

5. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.16 एवं पुनः 30.7.16 को धारा 21 की सुनवाई पूर्ण की गई। अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। अतः धारा 19

के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर किया गया था।

6. आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के प्रकशन उपरांत समयावधि में जो आपत्ति दी गई उसका नियमानुसार निराकरण क्रिया गया है। (आपत्तिकर्ता ना0बा0 सिमर गांधी, श्रीमती गीता देवी, नाबा.दर्शीन टूटेजा द्वारा धारा 11 के पश्चात नियत समय सीमा में कोई आपत्ति नही दी गई थी)। भूमि अर्जन, पुनर्वासिन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के पश्चात् धारा 15 की सुनवाई में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

7. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रूप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

(6) आपत्तिकर्ता-दिलीपसिंह छाबडा नि. महामाया चौक अंबिकापुर, नाबा. गुणवत छाबडा पिता आशीष छाबडा पा. मामा सतनाम सिह चावला नि. पंजाबी कालोनी बेमेतरा, कुलवंत कौर छावड़ा पति दिलीपसिंह छाबडा नि. महामाया चौक अंबिकापुर, ना0बा0 शानवी छावड़ा माता श्रीमती आरती छावड़ा निवासी पंजाबी कालोनी बेमेतरा (छ.ग.) पालक मामी श्रीमती रविन्द्र चावला पति सतनाम सिंह चावला निवासी हण्डीचौक रायगढ़, नाबा. यशवी छाबडा पिता आशीष छाबडा पा.मामा सतनाम सिंह छाबडा नि. हण्डी चौक रायगढ़ द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:-

1. अधिनियम की धारा 19 के पुनर्वासन व पुनर्स्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासिन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, जब तक पुनर्वासिन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता। एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

2. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3. यह कि रिट पिटिशन क्रमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू-अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अवहेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क्र. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग.शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू-अर्जन की प्रक्रिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एव धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

8. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

9. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12. 2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे- बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवेधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू-अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू-अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/-रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू-अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/-रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/-रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013-14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू-स्वामी है एवं एन.टी.पी. सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग

से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम -गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/-रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/-(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू-अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति का बिन्दुवार निराकरणा निम्नानुसार किया गया :-

कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है।

अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों की जांच कर नियमानुसार निराकरण पश्चात प्रकरण में आगे की कार्यवाही की गई है।

रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिशन क्रमांक च्ब1508/2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचराधीन है एवं छ.ग.शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। उल्लेखित रिट पिटिशन क्रमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में विचाराधिन है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासित एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासिन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई-राजपत्र के रूप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) के वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम रेंगालपाली में अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30.10.15 के अनुसार दिनांक 31.12.2015 तक 60 दिन की समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत दिनांक 27.6.16 एवं पुनः 30.7.16 को धारा 21 की सुनवाई तिथि नियत की गई थी। इस प्रकार भू -अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय दिया गया है। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र, संबंधित ग्राम एवं अतिरिक्त रूप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

7. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई है। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू-अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

8. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :-

छ.ग. राजपत्र – 2/10/15

समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट(www.cg.nic.in/egazette)ई-राजपत्र-02.10.15

समाचार पत्र कुशाग्रता दिनांक 20/10/2015

एवं दैनिक पत्रिका दिनांक 17/10/2015

ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/11/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

9. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रूप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरूस्त कर कार्यवाही की जा रही है।

10. प्रकरण में नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी कर सुना गया है।

11. प्रकरण में दिनांक 02.7.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेड्युल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014-15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी है।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। छ.ग.शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देश अनुसार मुआवजा राशि की गणना की जावेगी। भूमि अर्जन ,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के शेड्युल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी.

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर) द्वारा अनुमोदित है। जिसका नियमानुसार प्रकाशन कराया गया है।

(3) आपत्तिकर्ता- लक्ष्मी पिता नारायण निवासी ग्राम विश्वनाथपाली द्वारा आपत्ति की गई है कि उसके हक अधिकार स्वत्व स्वामित्व में ख.नं. 250/4 रकबा 0.405.हे0 भूमि स्थित है जिसमें रेल्वे लाईन जा रही है लेकिन उक्त सर्वे में भूमि छुट गयी है उसे भी सर्वे में शामिल किया जावे।

तहससीलदार रायगढ़ के प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि का नक्शे में बटांकन नही है, बटांकन एवं नाप पश्चात रेल लाईन में आती है तो पूरक सूची में प्रस्तावित की जायेगी। खसरा नं. 250/4 रेल लाईन में प्रभावित नहीं हो रहा है।

(4) आपत्तिकर्ता-कमला पिता राजकुमार द्वारा आपत्ति की गई है कि-प्रार्थी की माता सुकमनी के नाम से ग्राम विश्वनाथपाली ,में भूमि स्वामी हक की भूमि स्थित है, उपरोक्त जमीन का खसरा नं. 121/7 रकबा 0.809 हे. जिसमें रेल्वे लाईन में अधिग्रहित किए जाने बावत उक्त जमीन वर्तमान में जारी अधिसूचना मे अंकित नहीं किया गया है न ही आज तक मुझे किसी प्रकार की सूचना प्रदान किया गया है। उपरोक्त रकबा को अधिसूचना मे जोड़ा जाकर वास्तविक मुआवजा राशि प्रदान किया जावे। आवेदिका द्वारा आवेदित भूमि ख.नं. 121/7 रकबा 0.809 हे. भूमि रेल कारीडोर में प्रस्तावित नहीं है।

(5) आपत्तिकर्ता-गेतु पि मुल्लू जाति खडिया सा देह भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है :-

यह कि उक्त वर्णित भूमि पर आवेदक की कुछ भूमि छुट गया है नोटीस में कम रकबा दिया गया है जबकी वास्तविकता में भूमि अधिक है।

उक्त नोटिस पर वर्णित पेड़ भी कम दर्शाया गया है जबकी आवेदक की उक्त अधिग्रहित भूमि पर मौहा का 21 पेड़, चार का 21 पेड़, बेहरा 3 पेड़ साजा 2 पेंड़ नोटिस में कम दर्शाते हुए 1 पेड़ हर्रा- 1 पेड़ व बीजा- 1 पेड़, दर्शाया गया है। तथा भूमि पर कुआं स्थित है। जिससे भूमि सिंचित होता है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार निम्नानुसार बिन्दुवार निराकरण किया गया :-

स्थल जांच में एनटीपीसी रेल्वे लाईन हेतु प्रस्तावित रकबा ख.नं. 250/9 से रकबा 0.121 हे. भूमि प्रभावित हो रहा है।

स्थल जांच में मौके पर ख. नं. 250/9 रकबा 1.214 हे. से अर्जित रकबा 0.121 हे. पर 10नग मौहा, 1नग हर्रा, 1नग बेहरा, 14नग चार एवं 1नग नीम पेड़ गणना योग्य पाये गये। तथा 1 नग कूआं पाया गया।

6. निराकार, परमेश्वर पिता अंगद, लक्ष्मी बेवा अंगद जाति गाड़ा सा देह स्वामी यह कि आवेदनकर्ता के शामिल हक अधिकार की भूमि ख.नं. 1/3 रकबा 0.089 हे. भूमि बाबत् नोटिस दिया जाकर आपत्ति मंगाया गया है। उक्त अधिग्रहण हेतु पूर्व में सर्वे किया गया था जिसके अनुसार मेरा एक ख.नं. 1/2 रकबा 0.121 हे. भूमि छुट गया है। जिसे शामिल किया जाये।

आपत्तिकर्ता की ख.नं 1/3 से रकबा 0.089 हे. भूमि एनटीपीसी रेल्वे लाईन में भू अर्जन हेतु प्रस्तावित है। स्थल जांच करनें पर पाया गया कि खसरा नं. 1/2 प्रभावित नहीं तथा भूमि रेल्वे लाईन हेतु प्रस्तावित नही है।

7. भरत पिता वासुदेव जाति तेली सा देह भूमि स्वामी भरत पिता वासुदेव जाति तेली के नाम पर भूमि स्वामी हक में ख.नं. 265/1 रकबा 0.462 हे.भूमि मे डबरी दर्ज है उपरोक्त प्रस्तावित रेल लाईन होकर गुजर रही है। पूर्व में एनटीपीसी के द्वारा सर्वेक्षण सूचि में डबरी का नाम प्रकाशित सूचि में दर्ज था परन्तु वर्तमान में उक्त डबरी का नाम व खसरा नं. 265/1 रकबा 0.462 हे. भूमि को छोड दिया गया है। इस संबंध में दिनांक 24.05.2016 को माननीय अनुविभागिय अधिकारी राजस्व रायगढ़ के समक्ष निवेदन किया गया था।

स्थल जांच में मौके पर प्रस्तावित ख.नं 265/1 रकबा रकबा 0.486 हे. भूमि पर डबरी एवं 37 नग मौहा, 4 नग केंदू, 9नग चार, 8नग रहना, 8नग साजा, 4नग बेहरा, 2नग हर्रा एवं 2 नग केकट पेड़ गणना योग्य पाये गये ।

8. शत्रुघन पि. वासुदेव जाति तेली सा देह भूमि स्वाामी मेरी जमीन खसरा नं. 265/2 रकबा 0. 506 हे0भूमि है। मेरे दो पुत्र प्रथम वेद प्रकाश साव डिप्लोमा मेकेनिकल ई.इजी. और द्वतीय ओम प्रकाश साव डिप्लोमा इलेक्ट्रीकल इंजी. का कोर्स कम्पलीट किये है। अतः मेरे पुत्रों को उनके योग्यता अनुसार नौकरी देने कि कृपा करें। एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ नियमानुसार देय होगा।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 23/09/2016 एवं पंचनामा दिनाँक 23/09/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक-भाग-1 क, ख, ग, घ, तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर, औसत विक्रीछांट दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में गाईड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है।

(8) अधिग्रहित खसरा नं. 265/1 रकबा 1.263 हे. भूमि मे से स्थित रकबा 0.024 हे. भूमि डबरी भूमि को कलेक्टर रायगढ़ के मौखिक आदेशानुसार परिसंपत्ति मानकर मूल्यांकन किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015-16 की दर प्रति हे0 में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति हे0 में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित	744000/-	877166/-	800000/-

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का		गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
	प्रकार	रकबा				
1	असिंचित	2०342	7248582/–	205432/–	4629666/–	7248582/–
2	डबरी	0.024	–	–	–	–

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – रू. 233859/–

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – रू. 2093696/–

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू. 9576137/–

(9) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(10) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम विश्वनाथपाली की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरा नं. 14 कुल रकबा **2.366** हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये 9576137/–(अक्षंराक पच्चानवे लाख छिहत्तर हजार एक सौ सैंतीस रूपये मात्र/–) परिगणित होता है एवं भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग. शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–4–03/सात–1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू– अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/2014/दिनांक 04.12.2014 तथा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर कमांक एफ/7–41/सात–01/2016 नया रायपुर दिनांक 23.12.2016 में द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ0ग0)

पृ.क्रमांक 285 /भू-अर्जन/2017, रायगढ़ दिनांक 15-02-2017

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड राशि रू. 9576137/-(अक्षंराक पच्चानवे लाख छिहत्तर हजार एक सौ सैंतीस रूपये मात्र/-) अवार्डधारियों को भुगतान करने हेतु प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबंधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया अवार्ड की प्रति संबंधित भू-स्वामी को उपलब्ध करावें प्रकरण में समय सीमा के भीतर पुनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुनर्वास प्रतिवेदन गणना पत्रक के साथ शीघ्र प्रस्तुत करें।
4. उप पंजीयक, रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार,रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
6. राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं.रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
7. पटवारी हल्का नं. 40 को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ0ग0)